विचार बिन्दु

बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। –महाभारत

वर्तमान समय मीडिया का अब तक का श्रेष्ठ युग!

पिछले शुक्रवार को हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर अनेकों जगह पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा पर चर्चाएं आयोजित की गईं। यह दिवस पहले हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तंड' की प्रकाशन तिथि 30 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार 'उदन्त मार्तंड' के निकलने की तिथि के 200 वर्ष होने के कारण आयोजनों का महत्व बढ़ गया था। इन दो सौ वर्षों में पत्रकारिता ने अनेक बदलाव देखे हैं। उन पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि आज की पीढ़ी के लिये पत्रकारिता करने के लिये मौजूदा समय से बेहतर समय नहीं हो सकता। बस उन्हें नये युग की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। पुराने लोगों की बातों पर कान नहीं देना होगा। पुरानों का ज़माना बीत चुका। वे नए जमाने के साथ चाल न मिला पाने के कारण पीछे छूट गए हैं। परिवर्तन इतनी तेज गति से हुए हैं कि मीडिया के दिग्गज समझ ही नहीं पाये हैं कि क्या हो गया है। उन्हें लगता है उनका सब कुछ खो गया है। उनका रुतबा खो गया। वे पीछे छूट गये और वह नौजवान पीढ़ी आगे निकल गई है, जो नई प्रौद्योगिकी में दक्ष है। अब 24 घंटों में एक बार, अथवा नियमित समय पर खबरों का प्रकाशन-प्रसारण इतिहास की बात है। अब रियल टाइम में खबर का ज़माना है, जिसके लिये हरदम सतर्क और उद्यमशील रहना पड़ता है। अब राहत के क्षण नहीं हैं। हर वक़्त तैयारी रखनी पड़ती है। अब ऑफिस पहुंच कर खबर तैयार करने का अवकाश भी नहीं है। प्रिन्ट, ऑडियो, विज़ुअल और विडिओ का अलग-अलग वर्गीकरण समाप्त हो चुका है। सब कुछ ऑनलाइन है। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी आज पल-पल मीडिया को आकार दे रही है। जो इसे नहीं साध पा रहा है उसके लिये मीडिया में कोई ठीक-ठाक स्थान नहीं है। इसीलिए पुराने लोग समस्या में हैं,और युवा आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया का इतिहास, कई मायनों में, प्रौद्योगिकी का ही इतिहास है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से लेकर रेडियो प्रसारण तक, ब्लैक-एंड-व्हाइट टेलीविज़न से लेकर स्मार्टफ़ोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर तकनीकी क्रांति ने पत्रकारों के समाज के साथ संवाद करने के तरीके को बदला है। आज, हम पेशेवर संचार के इतिहास में शायद सबसे गतिशील और सशक्त दौर के गवाह बन रहे हैं। तकनीक ने न केवल समाचार पहुंचाने की गति को तेज़ किया है, बल्कि मीडियाकर्मियों के लिए पहुंच, प्रभाव, रचनात्मकता और उपलब्ध अवसरों का भी विस्तार किया है। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधुनिक युग में मीडिया पेशेवरों के लिए यह सबसे बेहतरीन समय है।

मीडिया परिदृश्य में यह बदलाव डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण आया है। आज, एक रिपोर्टर के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, बीते ज़माने के पूरे न्यूज़रूम से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। एक पत्रकार हाई-डेफ़िनिशन वीडियो शूट कर सकता है, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकता है, कंटेंट एडिट कर सकता है, खबरें लिख सकता है और दुनिया में लगभग कहीं से भी उन्हें तुरंत प्रसारित कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल न्यूज़रूम बन गए हैं, जहां जानकारी का निरंतर प्रवाह होता रहता है। खबर देने वाला और खबर लेने वाले के बीच संवाद है। कईं बार खबर लेने और देने वालों की भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। तकनीकी बदलाव ने मीडिया का लोकतंत्रीकरण किया है और लोगों को ऐसे अभूतपूर्व तरीकों से सशक्त बनाया है, जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं थी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता में एक बड़ी क्रांति ला रहा है। एआई-पावर्ड टूल्स रिपोर्टर्स को इंटरव्यू ट्रांसक्राइब करने, बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करने, सबटाइटल बनाने, अनुवाद बेहतर करने और ट्रेंड्स का तेज़ी से पता लगाने में मदद करते हैं। समाचार संस्थानों को भी अपने वज़ूद को बनाये रखने के लिये अब 'पर्सनलाइज़्ड कंटेंट रिकमेंडेशन' और 'ऑडियंस विश्लेषण' के लिए एआई का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसमें पिछड़ रहे संस्थान बाज़ार से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसी भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि एआई पत्रकारों की जगह ले लेगा, मगर असलियत यह है कि यह उनका एक महत्वपूर्ण सहायक टूल बन कर उभर रहा है और उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ा रहा है। पत्रकार अब दोहराए जाने वाले कामों पर ज़्यादा समय खर्च करने के बजाय खोज और विश्लेषण करने पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं।

मीडिया का इतिहास, कई मायनों में, प्रौद्योगिकी का ही इतिहास है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से लेकर रेडियो प्रसारण तक, ब्लैक-एंड-व्हाइट टेलीविज़न से लेकर स्मार्टफ़ोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर तकनीकी क्रांति ने पत्रकारों के समाज के साथ संवाद करने के तरीके को बदला है। आज, हम पेशेवर संचार के इतिहास में शायद सबसे गतिशील और सशक्त दौर के गवाह बन रहे हैं।

टेक्नोलॉजी ने खोजी पत्रकारिता को मज़बूत बनाया है। डिजिटल आर्काइव, ऑनलाइन डेटाबेस, सैटेलाइट इमेज, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस टूल्स ने छिपे हुए सच को सामने लाना आसान बना दिया है। खोजी पत्रकार वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण कर सच्चाई का पता लगा सकते हैं, गलत जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। डिजिटल संचार टूल्स की वजह से अलग-अलग देशों के बीच मिलकर पत्रकारिता करना संभव हो पाया है। पनामा पेपर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय जांचों ने यह दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी दुनिया भर के पत्रकारों को एक साथ लाकर असरदार रिपोर्टिंग करने में मदद कर सकती है।सोशल मीडिया ने पत्रकारों और दर्शकों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। पारंपरिक मीडिया में, बातचीत ज़्यादातर एकतरफ़ा होती थी। दर्शक व पाठक आज कमेंट्स, शेयर्स चर्चाओं और लाइव बातचीत के ज़रिए मीडिया से जुड़े लोगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। इससे पत्रकारिता ज़्यादा सहभागी बनगई है। रिपोर्टर जनता की प्रतिक्रियाओं को तुरंत जान सकते हैं और समाज की चिंताओं को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं।

नई प्रौद्योगिकी ने मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक अवसर भी बहुत बढ़ा दिए हैं। पहले, करियर के विकल्प सिर्फ़ अख़बारों, रेडियो और टेलीविज़न चैनलों तक ही सीमित थे। आज, मीडिया पेशेवर स्वतंत्र क्रिएटर, पॉडकास्टर, यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर, ब्लॉगर या सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लेटफ़ॉर्म, विज्ञापनदाताओं, स्पॉन्सरशिप और क्राउडफ़ंडिंग ने आय के नए स्त्रोत खोल दिए हैं। कई पत्रकार अब स्वतंत्र रूप से अपने निजी ब्रांड और दर्शक वर्ग बनाते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा रचनात्मक आज़ादी मिलती है। टेक्नोलॉजी ने पत्रकारिता की शिक्षा और ट्रेनिंग की क्वालिटी को भी बेहतर बनाया है। अब पत्रकारिता और जनसंचार के विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा के संस्थान अधिकतर अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। वहां छात्र सिर्फ डिग्री लेने जाते हैं, कक्षाएं अटेन्ड करने नहीं। मीडिया के क्षेत्र में आने के इच्छुक लोग ऑनलाइन कोर्स और ट्यूटोरियल के ज़रिए वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एनिमेशन और डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को भी अब मीडिया के क्षेत्र में नई-नई चीज़ें सीखने और अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के मौके मिल रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने जहां पत्रकारों को ज़्यादा तेज़, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा रचनात्मक और ज़्यादा स्वतंत्र बनने की ताक़त दी है, वहीं भूगोल, भाषा और लागत की बाधाओं को भी तोड़ दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इसने आम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है और लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूत बनाया है।भारत जैसे देशों में, टेक्नोलॉजी ने बदलाव लाने वाली भूमिका निभाई है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई ज़िंदगी दी है। पत्रकार अब हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, राजस्थानी और कई दूसरी भाषाओं में बड़े ऑनलाइन दर्शकों के लिए कंटेंट बना सकते हैं। गांव-देहात की वो कहानियां, जिन्हें कभी मुख्यधारा का मीडिया नज़रअंदाज़ कर देता था, अब डिजिटल स्टोरीटेलिंग के ज़रिए राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच सकती हैं। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि यह दौर पत्रकारों और मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। टेक्नोलॉजी ने मीडिया को एक सीमित पेशे से बदलकर रचनात्मकता और संचार के एक विशाल तंत्र में बदल दिया है। यह स्पष्ट है कि मीडिया का भविष्य वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई-जेनरेटेड कंटेंट और इमर्सिव स्टोरीटेलिंग जैसे नए-नए आविष्कारों के साथ लगातार बदलता रहेगा।

भविष्य के न्यूज़रूम आज के न्यूज़रूम से बहुत अलग दिख सकते हैं। फिर भी, एक चीज़ हमेशा एक जैसी रहेगी। वह है मानवीय विवेक, नैतिकता, सहानुभूति और सच्चाई का महत्व। टेक्नोलॉजी हमें साधन दे सकती है, लेकिन समाज की भलाई के लिए उनका समझदारी से इस्तेमाल करना मीडिया से जुड़े लोगों की ज़िम्मेदारी है। जहां प्रौद्योगिकी ने असाधारण अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसने गंभीर चुनौतियां भी खड़ी की हैं। मगर चुनौतियां कब नहीं थी? पुराने जमाने की अपनी चुनौतियां थी तो आज के जमाने की नई चुनौतियां है। फ़ेक न्यूज़ और गलत जानकारी का तेज़ी से फैलना आज मीडिया के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक बताया जाता है। फेक न्यूज़ पुराने प्रिन्ट मीडिया के जमाने में भी थी, आज भी है। बस वह ज़माना धीमा था और आज ज़माना तेज है। अब अफ़वाहें और छेड़छाड़ की हुई सामग्री फैलने में देर नहीं लगती। डीपफ़ेक टेक्नोलॉजी ने असली और मनगढ़ंत वीडियो के बीच फ़र्क करना मुश्किल बना दिया है। नतीजतन, पत्रकारों को जानकारी की पुष्टि करने और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी सिर्फ़ पत्रकारिता को ही नहीं बदल रही है; बल्कि यह संचार के असल मतलब को ही नए सिरे से परिभाषित कर रही है। आज का मीडियाकर्मी इस क्रांति के केंद्र में खड़ा है - दुनिया से जुड़ा हुआ, डिजिटल साधनों से सशक्त, और असल समय में लोगों की राय को आकार देने में सक्षम। असली चुनौती यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी मीडिया को बदलना जारी रखेगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या मीडिया पेशेवर इस शक्तिशाली दौर का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करके सच्चाई, लोकतंत्र और मानवता को मज़बूत करेंगे।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(स्वतंत्र पत्रकार एवं विश्लेषक)

राष्ट्रीय पुरुष आयोग: समय की पुकार और न्याय की आवश्यकता

सुमित यादव

प्रस्तावना

भारतीय समाज में सदियों से स्त्री और पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। जिस प्रकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** कार्यरत है, उसी तर्ज पर पिछले कुछ वर्षों से भारत में **राष्ट्रीय पुरुष आयोग** के गठन की मांग तेजी से उठी है। यह मांग केवल एक जेंडर के पक्ष की नहीं, बल्कि समान न्याय और लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) कानूनों की स्थापना के लिए है। यह विषय सामाजिक, कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

वर्तमान में भारत में महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों और अल्प संख्यकों के लिए विशेष संवैधानिक निकाय हैं। हालांकि, पुरुषों के लिए ऐसी कोई समर्पित संस्था नहीं है जहाँ वे अपनी प्रताड़ना या पक्षपात की शिकायत कर सकें। सांख्यिकीय आँकड़े बताते हैं कि पारिवारिक विवादों और झूठे मुकदमों के कारण पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है।

पुरुष आयोग की आवश्यकता क्यों?

आज के समय में यह माना जाता है कि समाज में महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है, जिसके लिए कई सशक्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन कुछ मामलों में इन कानूनों का दुरुपयोग भी देखने को मिला है। जैसे कि दहेज उत्पीड़न (IPC 498A) या घरेलू हिंसा कानून, जिनमें कई बार पुरुषों को बिना पर्याप्त जांच के आरोपी बना दिया जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में कुछ पुरुषों का कहना है कि उनके साथ भी मानसिक, सामाजिक और कानूनी अन्याय होता है, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए कोई विशेष संस्था नहीं है। इसलिए एक ऐसे आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो पुरुषों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करे और उन्हें न्याय दिलाने में सहायता करे।

1. कानूनों का दुरुपयोग (Misuse of Laws): भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) और दुष्कर्म से संबंधित कानूनों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई मामलों में इन कानूनों का उपयोग हथियार के रूप में निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों को फंसाने के लिए किया जाता है। एक पुरुष आयोग इन झूठे मामलों की जांच और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

2. घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष: समाज में यह धारणा व्याप्त है कि केवल महिलाएँ ही घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। पुरुष सामाजिक लोकलाज के कारण अपनी बात नहीं कह पाते।

3. उच्च आत्महत्या दर और मानसिक स्वास्थ्य: GShindi.com के लेख के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। इसके पीछे मुख्य कारण पारिवारिक विवाद, झूठे कानूनी केस और आर्थिक दबाव होते हैं। एक समर्पित आयोग उनके मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग के लिए मंच प्रदान कर सकता है।

4. लिंग-तटस्थ न्याय (Gender Neutral Justice): संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। यदि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता, तो न्याय का भी नहीं होना चाहिए। पुरुष आयोग का उद्देश्य किसी के अधिकारों को कम करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष को केवल पुरुष होने के कारण सजा न मिले।

यदि पुरुष आयोग का गठन होता है, तो उसके कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं:–

1. शिकायतों का निवारण:– पुरुषों से जुड़े मामलों जैसे झूठे आरोप, पारिवारिक विवाद, मानसिक उत्पीड़न आदि की सुनवाई करना।

2. कानूनी सहायता:– जिन पुरुषों को न्यायिक प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता हो, उन्हें मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

3. जागरूकता फैलाना:– समाज में यह जागरूकता फैलाना कि पुरुष भी मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव का सामना करते हैं।

4. नीतिगत सुझाव देना:– सरकार को ऐसे सुझाव देना जिससे कानूनों का संतुलित उपयोग हो और किसी के साथ अन्याय न हो।

5. आंकड़ा एकत्रीकरण: पुरुषों के खिलाफ होने वाले अपराधों और उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर शोध करना।

6. कानूनी सुधार: मौजूदा कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

समाज में पुरुषों की समस्याएँ

आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष मजबूत होते हैं और उन्हें भावनात्मक या मानसिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। पुरुष भी अवसाद, तनाव, पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझते हैं।

आत्महत्या के मामले:–आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इसका एक कारण मानसिक दबाव और सहायता की कमी है।

झूठे आरोपों का खतरा:–कुछ मामलों में पुरुषों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें कानूनी और सामाजिक रूप से बदनाम किया जाता है।

भावनात्मक उपेक्षा:–

पुरुषों की भावनाओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, जिससे वे अपनी समस्याएँ खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते।

विरोध और समर्थन के तर्क

समर्थन में तर्क:– पुरुष आयोग से समाज में संतुलन आएगा। यह पुरुषों को भी न्याय और सुरक्षा प्रदान करेगा। कानूनों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

विरोध में तर्क:–कुछ लोगों का मानना है कि इससे महिलाओं के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि पहले से ही कई संस्थाएँ मौजूद हैं जहाँ पुरुष अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ और केस स्टडीज

1. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 498ए का इस्तेमाल पतियों और उनके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए एक 'हथियार' के रूप में किया जा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस धारा के तहत पुलिस को सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए।

सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (2005): न्यायालय ने धारा 498 के दुरुपयोग को 'कानूनी आतंकवाद' (Legal Terrorism) करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना है, न कि निर्दोष पुरुषों को प्रताड़ित करना।

राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017): कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए हर जिले में परिवार कल्याण समितियों (Family Welfare Committees) के गठन का सुझाव दिया था, ताकि गिरफ्तारी से पहले मामले की सच्चाई जांची जा सके।

2. सांख्यिकीय डेटा (NCRB के अनुसार)

श्रेणी आंकड़े / विवरण

आत्महत्या दर– भारत में प्रतिवर्ष आत्महत्या करने वालों में लगभग 70% पुरुष होते हैं।

मुख्य कारण– पारिवारिक समस्याएँ और वैवाहिक विवाद पुरुषों में मानसिक तनाव के सबसे बड़े कारण पाए गए हैं।

झूठे मामले– एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 498ए के तहत दर्ज लगभग 10-12% मामले जांच के बाद 'झूठे या गलती' के रूप में पाए जाते हैं।

संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पुरुष बनाम महिला के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाज में दोनों के अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि महिलाओं के लिए आयोग आवश्यक है, तो पुरुषों के लिए भी एक मंच होना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याएँ रख सकें। सही मायनों में एक ऐसा तंत्र विकसित होना चाहिए जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। कानूनों का उद्देश्य न्याय होना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष को अधिक शक्ति देना।

निष्कर्ष– पुरुष आयोग का गठन एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। यह न केवल पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, बल्कि समाज में न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि, इसका गठन सोच-समझकर और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, 2025 पेश किया गया है, जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एक सभ्य समाज वही है जहाँ न्याय लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर मिले। राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन न केवल पुरुषों को सुरक्षा देगा, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के लैंगिक संतुलन को भी सुदृढ़ करेगा।

अंततः, एक स्वस्थ समाज वही होता है जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान, अधिकार और न्याय मिले। पुरुष आयोग इसी दिशा में एक संभावित कदम हो सकता है।

–सुमित यादव, सहायक लेखा अधिकारी (ऑडिट), विद्युत विभाग, उदयपुर)

रेगिस्तान के जहाज "ऊँट" के संरक्षण और संवर्द्धन का प्रयास

रचना सिद्धा

राजस्थान का नाम लेते ही आंखों के सामने अपने आप ही ऊँटों की कतार का दृश्य सामने आ जाता है। ऊँट राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। ऊँट रेतीले प्रदेश में बहुत कम पानी में भी बहुत दिनों तक रह लेते हैं और लंबी दूरी तय कर लेते हैं इसीलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाकों में ऊँट न केवल आवागमन का बल्कि खेती का भी प्रमुख साधन रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में ऊँटों की कई गौरव गाथाएं सुनने को मिलती हैं।

यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में ऊँटों का विशेष स्थान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आवागमन की बढ़ती सुविधाओं और आधुनिक साधनों के कारण ऊँटों की इस क्षेत्र में उपयोगिता कम हो गई है। खेती में भी नए नए तरीके काम में लिए जाने लगे जिसकी वजह से राजस्थान में ऊँटों की स्थिति में ही नहीं बल्कि इनकी संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1983 में ऊँटों की संख्या 7.56 लाख थी लेकिन कृषि एवं परिवहन में बढ़ते मशीनीकरण तथा ऊँटों की उपयोगिता में निरंतर आती कमी के कारण वर्ष 2019 में इनकी संख्या घटकर 2.13 लाख रह गई। इस दौरान राजस्थान ही नहीं पूरे देश में ऊँटों की संख्या में 37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था का आधार और इतिहास में अपनी गौरव गाथा दर्ज कराने वाले इस पशु को वर्तमान में संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकता है। राज्य में ऊँटों की लगातार घटती संख्या को रोकने और ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके संरक्षण और संवर्द्धन के लिए तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित करते हुए ऊष्ट्र संरक्षण योजना की शुरुआत की। वर्तमान में संवेदनशील मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने न केवल इस योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि कर दी बल्कि इसके लिए पशुपालन विभाग में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उष्ट्र संरक्षण योजना: राज्य में उष्ट्र संरक्षण एवं विकास मिशन के तहत ऊँटों में प्रजनन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उष्ट्र संरक्षण योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत ऊँटपालकों को टोडियों के जन्म पर दो किश्तों में कुल बीस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में आर्थिक सहायता ऊँट पालन के लिए दी जा रही है। पूर्व में यह राशि दस हजार रुपये थी। वर्तमान सरकार ने ऊँटों के संरक्षण और संवर्द्धन तथा ऊँटपालकों को ऊँटपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह राशि बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दी। एक वित्तीय वर्ष में एक जनाधार से अधिकतम पांच टोडियों के लिए यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

▪ वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने न केवल इस योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि कर दी, बल्कि इसके लिए पशुपालन विभाग में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

राजस्थान का कोई भी मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है। आवेदक को टोडिया के जन्म से दो माह पूरे होने की अवधि में आई ओ एम एम एस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योग्य आवेदकों को प्रोत्साहन राशि दस हजार रुपये के दो किश्तों में उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। दूसरी किश्त टोडिया के एक साल की आयु पूर्ण कर लेने के बाद वेरिफिकेशन के पश्चात दी जाएगी जिसके लिए आवेदक को पुनः आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय ऊँटपालकों को वांछित दस्तावेज देने जरूरी होंगे जिससे उन्हें प्रोत्साहन राशि बिना किसी रुकावट के समय पर मिल जाए। राज्य सरकार की इस योजना से ऊँटपालकों को आर्थिक संबल और प्रोत्साहन तो मिलेगा ही साथ ही निश्चित रूप से ऊँटों के संरक्षण और संवर्द्धन को नई दिशा मिलेगी।

वर्ष 2024-25 में 5963 ऊंटपालकों को 15 हजार 894 टोडियों के लिए 876.10 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। जबकि वर्ष 2025-26 में 6564 ऊंटपालकों को 18 हजार 862 टोडियों के लिए 1698.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2हजार लाख रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

राजस्थान ऊंट अधिनियम: ऊंटों के अवैध परिवहन, तस्करी तथा उनके वध को रोकने के लिए राज्य में राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 तथा राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 2025 प्रभावी है जिसके अंतर्गत ऊंट के वध को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है तथा वध के प्रयोजन से राजस्थान से बाहर ले जाने पर भी रोक है। साथ ही ऊंटों को चराई, कृषि या डेयरी उद्योग अथवा किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए सक्षम स्तर से परमिट लेकर ही राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है।

ऊँट रोग निदान एवं उपचार शिविर का आयोजन: ऊँटों के स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ऊंट रोग निदान एवं उपचार शिविरों का आयोजन प्रदेश भर में किया जाता है जिनमें ऊंटों में होने वाले रोगों का उपचार किया जाता है। ये शिविर प्रत्येक तिमाही पर यथासम्भव ऊंटपालकों के झुंड वाले स्थानों पर लगवाए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में 542 शिविरों के माध्यम से 6316 ऊंटपालकों के 64 हजार 439 ऊंटों का उपचार किया किया गया।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा के तहत ऊंटों का बीमा: राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रति ऊंट अधिकतम 40 हजार रुपये का बीमा निःशुल्क किया जाता है। एक जनाधार पर अधिकतम 10 ऊंटों का बीमा किया जाता है। अब तक 11 हजार 846 ऊंटपालकों के 18 हजार 448 ऊंटों का बीमा किया जा चुका है तथा ऊंटपालकों को मृत बीमित ऊंटों के लिए 118 लाख से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रतियोगिताओं का आयोजन: ऊंटों को आमजन में लोकप्रिय बनाने तथा ऊंटपालन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पशु मेलों में ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से उत्कृष्ट टोडिये का चयन, उन्नत नस्ल, ऊंट दौड़, ऊंटों की सजावट, ऊंट के दूध उत्पादन की प्रतियोगिता आदि उल्लेखनीय हैं।

इसके अलावा सरकार ऊँट अभ्यारण्य बनाने, ऊँटों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने, ऊंटों को पर्यटन से जोड़ने, राष्ट्रीय ऊँट पालक प्रशिक्षण संस्थान बनाने, ऊँट बाहुल्य क्षेत्रों में ऊँट शालाओं का संचालन करने जैसी कई योजनाओं पर भी विचार कर रही है जिससे ऊँटों के संरक्षण और संवर्द्धन को गति और दिशा मिल सकेगी।

राजस्थान में ऊँट पालन का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक है। यह न केवल पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। ऊँटों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सरकार के इन प्रयासों से इस पारंपरिक व्यवसाय को मजबूती मिल सकती है और राजस्थान के विकास में इसका योगदान बढ़ सकता है साथ ही राज्य पशु की घटती संख्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है।

–रचना सिद्धा,
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राशिफल

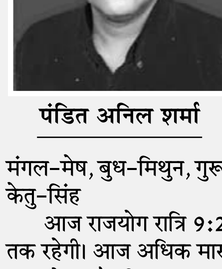

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 3 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 1:00 तक, शुभ योग प्रातः 8:12 तक, वणिज करण प्रातः 8:12 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग रात्रि 9:22 तक है। आज भद्रा प्रातः 8:12 से 9:22 तक रहेगी। आज अधिक मास चतुर्थी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:01 तक, शुभ 10:43 से 12:25 तक, चर 3:49 से 5:31 तक, लाभ 5:31 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:13

मेष

परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृष
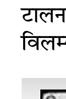
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों के साथ वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
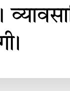
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
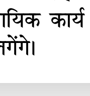
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
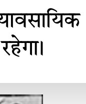
आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।

कन्या
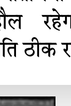
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे।

वृश्चिक

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
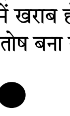
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

कुंभ
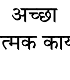
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

मीन
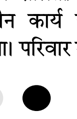
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।